मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2025 (श्रावण 10, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11: 02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा सर्वश्री इन्दर सिंह परमार, विश्वामित्र पाठक, बिसाहूलाल सिंह एवं संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्यगण को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या (1,2,3,4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. **लेकिन व्यवधान की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण प्रश्न संख्या 6 पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सका**. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 136 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में श्री हरीश चौधरी, विधायक, राजस्थान विधान सभा और प्रदेश प्रभारी, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यगण द्वारा भी नारेबाजी की गईं.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.43 बजे स्थगित की जाकर अपराह्न 1.01 बजे पुन: समवेत हुईं.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी, जिला कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

6. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

सर्वश्री आरिफ मसूद, सचिन सुभाषचन्द्र यादव सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य कई सदस्यगण गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

7.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया माना जाएगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

पहले क्रमांक- (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जाएंगी ।

8. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने** खुरई विधान सभा अंतर्गत मालथौन में शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सदस्यगण गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य ने** मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. अध्यक्षीय घोषणा (क्रमश:).

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार "कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (12) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गये." -

(3) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने** नर्मदापुरम जिले के इटारसी में न्यास कालोनी में मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(4) **श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य ने** खातेगांत क्षेत्र में खरपतवार कीटनाशक के प्रयोग से किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट होने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(5) **श्री उमंग सिंघार, सदस्य ने** मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंधित जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस द्वारा एम्बुलेंस सेवायें समय पर न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य.

(6) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य ने** अनूपपुर जिले में हाथियों के प्रवास को रोकने एवं उनके द्वारा की गई क्षति की क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई जाने की ओर राज्यमंत्री वन का वक्तव्य.

(7) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने** विजयराघोगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन एवं जल निगम अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(8) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य ने** खरगौन जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का वक्तव्य.

(9) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन में नियम विरूद्ध टेंडर संशोधन एवं सामाजिक अंकेक्षण संबंधी अनियमितताएं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(10) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने** विदिशा जिले के वन परिक्षेत्र लटेरी में सागौन लकड़ी की अवैध कटाई किये जाने की ओर राज्यमंत्री वन का वक्तव्य.

(11) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने** धार जिले के सरदारपुर में उदीयमान फुटबाल खिलाडियों के लिए सुविधाओं का अभाव होने की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(12) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने** निवाड़ी जिले के जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में मनरेगा के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति से कार्य कराये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में क्रमांक 1 से 81 तक उल्लेखित याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(2) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(3) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(4) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(5) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(6) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(7) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(8) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(9) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(10) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(11) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(12) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(13) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(14) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(15) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(16) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(17) श्री मोंटू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(18) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(19) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(20) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(21) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(22) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(23) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(24) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(25) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(26) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(27) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(28) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(29) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-आगर मालवा)
(30) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(31) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(32) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(33) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(34) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(35) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(36) श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-पांढुर्णा)
(37) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(38) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(39) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(40) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)

(41) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(42) श्री मुकेश टंडन (जिला-विदिशा)
(43) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(44) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(45) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (जिला-अशोकनगर)
(46) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(47) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(48) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(49) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(50) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(51) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(52) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(53) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(54) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(55) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(56) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(57) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(58) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(59) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(60) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(61) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(62) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(63) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(64) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(65) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(66) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(67) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(68) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-खण्डवा)
(69) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(70) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(71) कुँवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(72) इंजीनियर हरिबाबू राय (जिला-अशोक नगर)
(73) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(74) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(75) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(76) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(77) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(78) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)
(79) डॉ. राजेश सोनकर (जिला-देवास)
(80) इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(81) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)

13. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

(1)	श्री ऋषि अग्रवाल, सदस्य ने गुना जिले में हुई भीषण बारिश से फसलें, मकान घरेलू वस्तुएं, सड़के, तालाब, डेम, पुल-पुलिया आदि का सर्वे कराकर शीघ्र उचित राहत पैकेज उपलब्ध कराने के संबंध में।
(2)	डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने जावरा उज्जैन मार्ग पर अत्याधिक आवागमन होने एवं अधिक घुमावदार एवं संकरी सड़क होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना।
(3)	श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र भितरवार में उम्मेदगढ़ विकासखण्ड अतंर्गत घाटीगांव में माध्यमिक शाला भवन पुराना एवं जर्जर होने से नया शाला भवन निर्माण किये जाने संबंधी।

(4)	श्री चैन सिंह वरकड़े, सदस्य ने मण्डला जिले के चौगान में स्वीकृत जनजातीय संग्रहालय के भवन निर्माण के संबंध में।
(5)	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ मंदिर पर पर्यटन पुलिस चौकी खोली जाना।
(6)	श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा अतंर्गत नर्मदापुरम से छिन्दवाड़ा तक जर्जर सड़क की शीघ्र मरम्मत कराई जाना।
(7)	श्री बाला बच्चन, सदस्य ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अतंर्गत अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।
(8)	श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने सिरोंज में लटेरी तह. अतंर्गत कस्बा आनंदपुर को तहसील का दर्जा दिया जाने बावत्।
(9)	श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने खातेगांव तहसील के अतंर्गत ग्राम लिनी से कुमनगांव के किशनेर नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना।
(10)	श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने दतिया जिले में सेंवढा स्थित नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किया जाना।
(11)	श्री दिनेश जैन (बोस), सदस्य ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत अस्पतालों के भुगतान और नए अस्पतालों को जोडें जाने में व्यापक भ्रष्टाचार।
(12)	श्री जयवर्धन सिंह, सदस्य ने आजीविका मिशन अतंर्गत स्वसहायता समूहों में अनियमितता होना।
(13)	श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य ने मुरैना जिले में अतिवृष्टि से चंबल में आई बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाना।
(14)	डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा जिले में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा बल पूर्वक की गई कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

14. वक्तव्य संबंधी अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का दिनांक 24 जुलाई, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्रमांक 3549) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य पढा हुआ माना जायेगा.

15. अशासकीय संकल्प

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्यवाही में उल्लेखित अशासकीय संकल्प आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे.

अपराह्न 01.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025 (श्रावण 13, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 1 अगस्त, 2025